Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

भारतीय परिवार में होने वाले आधुनिक परिवर्तन के कारक

Mamta Kumari[1]* Dr. Mohammad Kamil[2]

[1] Research Scholar, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh

[2] PhD, NET, Assistant Professor, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh

सार – ***भोजन, आवास और यौन संतुष्टि जैसे मौलिक कार्य आज के आधुनिक परिवार भी करते है, लेकिन इन कार्यो को करने की विधियों एवं इनसे संबंधित मूल्यों में परिवत्र्तन हो रहे है। लेकिन यह परिवत्र्तन पश्चिमी परिवारों में होने वाले परिवत्र्तन की तरह आमूल-चूल परिवत्र्तन नहीं है। परिवार के प्रकार्य, परिवार की संरचना पर निर्भर करता है और समाज की प्रकृति, परिवार के प्रकायो को निर्धारित करती है। परिवार के प्रकार्य, जैसे- बच्चों का प्रजनन के बाद पोषण एवें संरक्षण प्रदान करना, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना, यौन व्यवहार को नियंत्रित करना, समाजीकरण, संस्कृति को पीढ़ी-दर-पीढी हस्तांरित करना, भावनात्मक प्रोत्साहन, सामाजिक पहचान दिलवाना आदि कार्य परिवार द्वारा किये जाते रहे है। परन्तु आधुनिक भारतीय परिवार में इन कार्यो में परिवत्र्तन हो रहे हैं, लेकिन इस परिवत्र्तन में भी परम्परागत परिवार के लक्षणों को देखे जा सकते है।***

----------X----------

परिचय

संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय समाज में अत्यन्त प्राचीनकाल से रहा है। यह व्यवस्था परम्परागत कृषि समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल एक व्यवस्था रही है, संयुक्त परिवार प्रणाली परिवारिक जीवन के क्षेत्र में हिन्दुओं की विशिष्ट जीवन पद्धति की ओर संकेत करती है। अन्य संस्कृतियों ने जहाँ आरम्भ से व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से उत्पन्न स्वार्थी जीवन को प्रोत्साहन दिया है वहाँ हिन्दू संस्कृति ने सामुदायिक भावना से अभिप्रेरित परमार्थिक जीवन शैली का विकास किया है। तात्कालिक संदर्भ में इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि परिवार में होने वाले परिवर्तनों के विषय में अनुसंधान या अध्ययन कार्य किया जाये। क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे की सामाजीकरण की पहली सीढ़ी ही नहीं बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया भी परिवार से ही आरम्भ होती है। इसलिए भी मानव को मानव बनाने वाली, उसमें नैतिकता, सामाजिकता का पदार्पण करने वाली महत्वपूर्ण संस्था का गहन अध्ययन किया जाय।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार वह इकाई है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य अपने विस्तारिक वंश के साथ एक मुखिया के नेतृत्व में रहते हैं। प्रभु ने उचित ही लिखा है - "हिन्दू परिवार पर विचार करते समय जो प्रथम वस्तु आलोकित होती है वह उसकी संयुक्त प्रकृति है।"

भारतीय समाज की परिवार व्यवस्था में शताब्दियों पूर्व हुए परिवर्तनों का काफी प्रभाव पड़ा है। देश में जिस समय आबादी कम थी और कृषि व्यवसाय के आधार पारस्परिक अन्तर्निर्भरता थी, उस समय प्रत्येक परिवार श्रम की आवश्यकता महसूस करता था, इसलिए परिवार में सभी दृष्टिकोणों से संयुक्तता विद्यमान थी। किन्तु पिछले दो सौ वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था ही परिवर्तित हो चुकी है। प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान परिवेश में कृषि पर ही अधिकांश लोग निर्भर नहीं रह सकते। यातायात एवं सम्प्रेषण के विभिन्न साधनों एवं औद्योगिक प्रोन्नति के परिणामस्वरूप आज सामाजिक प्रगति एवं विकास हुआ है, एक नयी सामाजिक व्यवस्था निर्मित हुई है, लेकिन इस व्यवस्था ने प्रतिस्पर्धा को काफी प्रोत्साहन दिया है। परिवार में प्राप्त होने वाले अवसर अब लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। कृषि के उपकरणों में परिवर्तन, शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार, तकनीकी यंत्रों का आविष्कार एवं ज्ञान ने ग्राम्य जीवन को भी प्रभावित किया है, फलस्वरूप ग्रामों, कस्बों, नगरों में भी एक नयी सोच

www.ignited.in

जागृत हुई है। ग्रामीणों में परिवारिक बन्धनों और उत्तरदायित्व की भावना कम हुई और स्वार्थ भावनाएँ जागृत होने लगीं, अतः इन्हीं स्वार्थी मानसिकताओं के कारण ग्रामीणों का नगरों की ओर आकर्षण बढ़ने लगा, क्योंकि नगर में ही उच्च शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण रोजगार की अनेकों संभावनाएँ एवं सुअवसर उपलब्ध होते हैं। अतः रोजगार या नौकरी प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा एवं अपना जीवन स्तर उच्च बनाने की लालसाओं के कारण तेजी से नगरा गमन होने लगा। औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि प्रक्रियाओ के कारण ही हिन्दू परिवार के विभिन्न पक्ष प्रभावित हुए तथापि स्वरूपों में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। परम्परागत संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिलक्षित होने लगे, संयुक्त परिवार का नवीनीकृत स्वरूप सामने स्पष्ट होने लगा।

सामाजिक संरचना में ऐसे परिवारों को केन्द्रीय माना गया है, जिसमें साधारणतया पति-पत्नी और उसके अविवाहित सन्तान ही निवास करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैयक्तिकता की भावना के कारण केन्द्रीय परिवार ही ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। विशेषतः ऐसे परिवार यूरोप के प्रगतिशील देशों और अमरीकी समाजों में पाये जाते हैं। लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि आज यूरोप आदि देशों की तरह ही भारत में एकाकी परिवार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भारतीय परिवार की मजबूती सर्वसम्मत है। जो एकाकी परिवार हिन्दुओं में देखे जा रहे हैं, उनमें भी संयुक्तता की लहर है, संयुक्तता की मानसिकता विद्यमान है। भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण पति-पत्नी एवं उसके अविवाहित संतान एकल परिवार में निवास कर रहे हों। आज जो संयुक्त परिवार परिलक्षित हो रहे हैं, उनका नवीनीकृत स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है, जहाँ सदस्यों की संख्या सीमित है तथा पीढ़ियों की संख्या भी कम ही होती है। परम्परागत युग में परिवार की संयुक्तता का प्रमुख आधार व्यावसायिक समानता एवं विशेषता अनेक पीढ़ियों के सदस्यों का मिलजुलकर संयुक्त भावना से निवास करना था, लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की परिभाषा ही बदल चुकी है। लावी के शब्दों में द्द एकाकी परिवार से अभिप्राय - पति, पत्नी तथा अपरिपक्व आयु के बच्चों से मिलकर बनी एक इकाई है जो शेष समुदाय से पृथक होती है।

परम्परागत संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएँ आज के आधुनिक एकाकी परिवार में प्रचलित हो रहे हैं, जहाँ न तो संयुक्त निवास है, न संयुक्त संपत्ति और न ही संयुक्त पूजा, उपासना आदि ही, सभी के परिवार पृथक हैं, एकाकी हैं, लेकिन विशिष्ट अवसरों जैसे मांगलिक कार्यों पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह इत्यादि अवसरों पर वे एकत्रित होकर खुशियाँ मनाते हैं, अपनी-अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे परिवार पारिभाषिक तौर पर तो एकाकी हैं, लेकिन मानसिक तौर पर संयुक्त परिवार की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। आधुनिकी परिस्थितियों में भी हिन्दू संयुक्त परिवार की परम्परागत मानसिकता की प्रकृति बरकरार है।

संयुक्त परिवार के प्राचीन एवं परिवर्तित प्रकार्य:-

संयुक्त परिवार भारतीय हिन्दू समाज की अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्था भारतवर्ष में एक लम्बे समय से चली आ रही है। किसी भी संस्था का एक लम्बे समय से प्रचलन इस बात का द्योतक है कि वह संस्था समाज के लिए उपयोगी हैं यह संस्था प्रमुखतया कृषि प्रधान एवं ग्रामीण समाजों में तो बहुत ही उपयोगी रही है। कर्वे इसे एक छोटी-मोटी दुनिया मानती हैं।

पारिवारिक सत्ता में मुखिया एवं उसकी प्रस्थितिः-

व्यक्तियों के व्यवहारों को व्यवस्थित करने तथा उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने के प्रति स्थापित अधिकार को सत्ता कहते हैं। यह शक्ति प्रयोग के प्रमुख रूपों में से एक है, जिसमें उनके वैयक्तिक मानवीय कर्ताओं की क्रियाओं को आदेशात्मक तरीके से निर्देशित किया जाता है ताकि किसी विशिष्ट लक्ष्य या सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मैक्स बेवर ने चमत्कारी या करिश्मायी तार्किक, कानूनी एवं पारम्परिक या परम्परागत सत्ता का उल्लेख किया है। मैक्सबेवर का कथन है कि चमत्कारी सत्ता ऐसे व्यक्तियों के पास होती है जो मात्र अपने व्यक्तित्व तथा शक्ति के आधार पर लोगों को नेतृत्व एवं प्रेरणा प्रदान करने की योग्यता रखते हैं। परम्परागत ग्रामीण हिन्दू परिवारों का मुखिया एक वृद्ध तथा नातेदारी सम्बन्धों में प्रमुख पुरूष होता है जिसके आदेशों का पालन करना सभी सदस्य अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। परिवार की सम्पत्ति पर पिता अथवा कर्ता का ही अधिकार होता है। उसी के द्वारा सदस्यों के बीच श्रम-विभाजन किया जाता है तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों के रूप का निर्धारण होता है।

साहित्य समीक्षा

ओ'मैल (2011) का संयुक्त परिवार परम्परागत, पूर्व आधुनिक, बहु-प्रकार्यात्मक समूह है, जो संयुक्त सम्पत्ति, घर, रसोई तथा परिवार के आराध्य अथवा आराध्यों की पूजा मुख्य रूप से करता है (पृ0 120-121)। यह सौ व्यक्तियों तक का बड़ा समूह हो सकता है। यह सामान्य पूर्वज के साथ तीन

www.ignited.in

या चार पीढ़ियों का एक रूढ़िगत समूह है जो प्रायः पितृवंशीय होता है। ऐसे परिवार एक घरबार की अपेक्षा एक बस्ती अधिक दिखायी देते हैं।

ओ' मैले कहते हैं कि संयुक्त परिवार पृथक घरबारों में रह सकता है लेकिन सम्पत्ति, पूजा और अन्य क्रियाओं में संयुक्त रह सकता है (1934-121-126) वह इसे आधुनिक समय की घटना मानते हैं। ओ' मैले (1941) ने संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों और प्रकृति पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

एन. सी. देसाई:- तीसरे दशक में लगभग ओ' मैले की प्रथम कृति के समय देसाई (2012) ने परिवार व्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है।

के. टी. मर्चेण्ट:- मर्चेण्ट (2013) ने परिवार और विवाह के बारे में प्राथमिक प्रयोग सिद्ध अध्ययन किया है। उन्होंने घरबारों को 'पृथक परिवारों' तथा 'संयुक्त परिवारों' में वर्गीकृत किया है। संयुक्त परिवार की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है: "विवाहित भाइयों, अंकल्स, आंटस, कजिन्स के साथ रहता हुआ व्यक्ति तथा विवाहित पुत्र अथवा ग्रांडसन के साथ रहते हुए पिता अथवा ग्रांड-फादर को संयुक्त परिवार व्यवस्था में रहते हुए के रूप में समझा जाना चाहिए (पृ0 35)। इस प्रकार इनकी परिभाषा तीन अथवा अधिक पीढ़ी सूत्र को अन्तर्निहित करती है"।

किंग्सले डेविस व्यावसायिक समाजशास्त्री डेविस (2013) ने उपलब्ध साहित्य के आधार पर दो सामाजिक संस्थाओं-विवाह और परिवार का पारस्परिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। डेविस का उपागम उदविकासवादी और नृवंशविद्या केन्द्रित है। डेविस (2014) ने हिन्दू परिवार पर एक परिच्छेद लिखा है। पश्चिमी देशों में इस पुस्तक को समाजशास्त्र में एक मूल ग्रंथ के रूप में विस्तृत रूप से प्रयुक्त किया गया है।

डेविस जी. मेण्डलबॉम:- मेण्डलबॉम (2013) ने उपलब्ध साहित्य के आधर पर सामान्य पारिभाषिक शब्दों में भारतीय परिवार संगठन का वर्णन किया है। इस पुस्तक में परिवार को तीन प्रकार की संरचना रखने वाले घरबार समूह के रूप में परिभाषित किया है: 'सभी व्यक्ति रक्त द्वारा सम्बन्धित हैं जैसे (1) एक पुरूष और उसके पुत्र तथा ग्रांड सन्स अथवा (2) भाइयों का एक समूह, उनके पुत्र तथा ग्रांडसन्स। घरबार की स्त्रियाँ उनकी पत्नियाँ है, अविवाहित पुत्रियाँ और सम्भवतः मरे हुए रक्त संबंधी पुरूषों की विधवाएँ।

उसके बाद कापड़िय (2014) ने विभिन्न शोध-पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से परिवार के समाजशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया है। कापड़िया ने "चेजिंग पैट नर्स ऑफ़ हिन्दू मैरिज एण्ड फैमिली" पर अपने शोध-पत्र के तीसरे भाग में संयुक्त परिवार को दो दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है: मनोवृत्ति संबंधी तथा संरचनात्मक। उत्तर न पाने के कारण अपने निष्कर्षों की वैधता के बारे में वह स्वयं संतुष्ट नहीं है। संरचनात्मक पहलू के बारे में, वह मानते हैं कि केन्द्रीय परिवार में किसी व्यक्ति का जुड़ना उसे संयुक्त परिवार में बदलता है। वह निवास स्थानीय और प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवारों के बीच और उस परिवार में, जो केवल प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त है लेकिन निवास स्थानीय रूप से पृथक, अंतर मानते है। कापड़िया मानते है कि निवास स्थानीय समूह में संयुक्तता की उच्च मात्रा के साथ निवास स्थानीय समूह के बाहर भी संयुक्तता की उच्च मात्रा पायी जाती है (1955 अ, 180-181)।

एस. सी. दूबे:- दूबे (1955) ने तेलंगाना के एक ग्राम समुदाय में सम्पन्न अपने अध्ययन में परिवार संगठन पर भी रूचि प्रदर्शित की है। वह आदर्श संयुक्त परिवार को एक पाँच पीढ़ियों की इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं- अहं, उसकी पत्नी, उसके माता-पिता और पैतृक दादा-दादी, उसके भाई और उनकी पत्नियाँ तथा बच्चे और उनके बच्चे तथा उनकी पत्नियाँ और बच्चे और उनकी अविवाहित बहनें तथा पुत्रियाँ (पृ0 133)।

वह तेलंगाना गाँव में चार या पाँच पीढ़ियों की दोनों इकाइयों को असंभव समझते है। वह दो प्रकार के संयुक्त परिवारों का भी उल्लेख करते हैं - एक माता-पिता और उनके विवाहित पुत्रों तथा उनकी पत्नियों तथा बच्चों से बनता है तथा दूसरा भाइयों, उनकी पत्नियों तथा बच्चों से बनता है।

दूबे मानते हैं कि पृथक्करण के बाद पीछे की ओर हटता हुआ परिवार और मुख्य परिवार एक दूस रे के जीवन कार्यों और समस्याओं में क्रियाशील रूचि लेते है। धर्मिक रीतियों (संस्कारों) उत्सवों, त्योहारों तथा जीवन के संस्कारों में साथ-साथ हिस्सा लेते है।

ए. अयैप्पन:- गणनात्मक अध्ययनों की वकालत करते हुए अयैप्पन (1955) ने भारत में जाति तथा परिवार पर एक सामान्य वर्णन ही प्रस्तुत किया है।

आई0पी0 देसाई:- देसाई ने सन 1953 से 1964 तक विभिन्न शोध-पत्रों और पुस्तकों के रूप में परिवार समाजशास्त्र में अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने 1953 में पूना के हाई-स्कूल के अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त प्रश्नावली में कुछ सूक्ष्म प्रश्न पूछे। उनका (1954)

www.ignited.in

जाति और परिवार पर पुनरावलोकन वास्तव में एक सामान्य लेख है। उन्होंने व्यापक रूप से अपने विचारों को सर्वप्रथम अपने शोध-पत्र (1955) में प्रस्तुत किया है।

इस अनुसंधन-पत्र (2013) के प्रारम्भिक अर्द्ध भाग में वह भारत की सन 1951 की जनगणना पर कुछ रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए आँकड़ों तथा अभिव्यक्त किए गए विचारों का विस्तार में परीक्षण करते है। इस परीक्षण के दौरान वह 'परिवार' तथा 'घरबार' में अंतर करने की बात कहते हैं, क्योंकि केन्द्रीय परिवार से बना हुआ घरबार कुछ अन्य प्रकार्यों के लिए संयुक्त परिवार का हिस्सा होना जारी रखता है। एक साथ रहना और सहभोजनीयता को वह परिवार प्रकारों को देखने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय मापदण्ड नहीं मानते हैं उनके विचार से जनगणना के उपागम की मुख्य कमी यह है कि यह परिवार को व्यक्तियों के एक पिण्ड के रूप में समझता है।

देसाई (1956) के शोध-पत्रों में मूल विषय वही है जो उनके पहले पत्रों में है। इसमें उन्होंने केन्द्रीय परिवार की अपनी निजी परिभाषा प्रस्तुत की है- 'हम एक घरबार को केन्द्रीय परिवार कह सकते हैं यदि वह माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चों के समूह अथवा पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से बना हुआ है, जो अपने दूसरे नातेदारों सम्पत्ति अथवा आय अथवा अधिकारों और दायित्वों से जो उनसे सम्बन्धित होते है और जैसी की नातेदारी से जुड़े हुओं से अपेक्षित है, सम्बन्धित नहीं है'।

देसाई मानते हैं कि एक घरबार जो केन्द्रीय परिवार की अपेक्षा अधिक बड़ी पीढ़ी की गहराई रखता है तथा जिसके सदस्य या तो भ्रातात्मक रूप से या वंश से सम्पत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से सम्बन्धित होते हैं, संयुक्त परिवार है।

इस विश्लेषण के आधर पर देसाई ने निष्कर्ष निकाला है कि यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि केन्द्रीयता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है। देसाई इस विचार को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि व्यक्तिवाद की भावना भारतीय परिवार में सामान्यतः बढ़ रही है क्योंकि ऐसे समाजशास्त्रियों के तथ्यों को वह कमजोर मानते हैं।

देसाई (1964) ने 423 घरबारों का अध्ययन किया। अध्ययन यह निश्चित करने का प्रयत्न करता है कि संयुक्तता की उपस्थिति या अनुप स्थिति किस सीमा तक 'धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षिक स्तर और महुआ में ठहरने की अवधि से संबंध रखना और प्रचलित होना जारी रखती है';। कारक उनकी शंकायुक्त अनुरूपता के कारण चुने गए हैं।

श्रीनिवास:- श्रीनिवास (1942) का जातीय विज्ञान सामग्री पर आधारित अध्ययन चचेरे-चचेरी विवाह को निर्धरित करने में संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों के बीच सम्बन्धों का महत्वपूर्ण वर्णन है। श्रीनिवास संयुक्त और व्यक्तिगत परिवार के द्विविभाजन के विषय में उल्लेख करते हैं, सामान्यतः उनके गुणों और अवगुणों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए (पृ0 202)।

श्रीनिवास (1952) अर्द्ध ने कुर्ग के ओक्का का संयुक्त परिवार के रूप में वर्णन किया है, लेकिन ओक्का उनके वास्तविक वर्णन में न केवल सह-निवास स्थानीय सहभोजी, सम्पत्ति धरक तथा सांस्कारिक समूह, जो 'सापिण्ड रूप से सम्बन्धित दो अथवा तीन पीढ़ियों के पुरूषों, उनकी पत्नियों तथा उनके बच्चों से बना होता है' के लिए लागू होता है, बल्कि विस्तृत समूह के लिए भी लागू होता है जो खण्ड़ों में बटा हुआ है, जो एक या दो पैतृक घरों में निवास कर रहे है और बाकी पूरे कुर्ग में पफैले हुए है । श्रीनिवास ने इस पुस्तक में संयुक्त परिवार और वंश के बीच अंतर नहीं किया है। लेकिन उन्होंने (1956) अपने निबंध दी गजेटीयर ऑफ़ इण्डिया में ओक्का को वंश के रूप में माना है।

श्रीनिवास (1952) संयुक्त परिवार को भाईचारे और वंश से अलग समझते है। वह संयुक्त परिवार को बहु-प्रकार्यात्मक समूह के रूप में मानते हुए इस प्रकार परिभाषित करते हैं- 'यह सामान्य पूर्वज से पुरूष वंश में वंशजों, उनकी पत्नियों, विवाहित के साथ-साथ अविवाहित पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों से बनता है । श्रीनिवास के शोध-पत्रों के विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार वह है जिसमें पुरूष सदस्य या तो (1) पिता, उसके दो या अध्कि विवाहित पुत्र, एक या अधिक अविवाहित पुत्र तथा अविवाहित ग्रांडसन, अथवा (2) दो या अधिक विवाहित भाई, एक या अधिक अविवाहित भाई तथा भाइयों के अविवाहित पुत्र हैं। सम्बन्धियों की कुछ श्रेणियाँ जो इन संयुक्त परिवारों या प्राथमिक परिवारों के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं पड़ती हैं, उन्हें बाद वाले के साथ वर्गीकृत किया गया है।

निष्कर्ष

परिवार के प्रकार्य, परिवार की संरचना पर निर्भर करता है और समाज की प्रकृति, परिवार के प्रकार्यो को निर्धरित करती है। परिवार के प्रकार्य, जैसे- बच्चों का प्रजनन के बाद पोषण

www.ignited.in

एवं संरक्षण प्रदान करना, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना, यौन व्यवहार को नियंत्रित करना, समाजीकरण, संस्कृति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांरित करना, भावनात्मक प्रोत्साहन, सामाजिक पहचान दिलवाना आदि कार्य परिवार द्वारा किये जाते रहे है। परन्तु आधुनिक भारतीय परिवार में इन कार्यो में परिवत्र्तन हो रहे हैं, लेकिन इस परिवत्र्तन में भी परम्परागत परिवार के लक्षणों को देखे जा सकते है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. गुप्ता, एम.एल.शर्मा डी.डी. (2003) ''भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रा'' (साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा)

2. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (1981). ''समाजशास्त्र भारत में परिवार तथा नातेदारी (एस.बी.पी.डी.पब्लिकेशन्स, आगरा)

3. पाण्डेय, एस.एस. 2010 ''समाजशास्त्र (नातेदारी की व्यवस्थाएं तथा भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएँ'' टी.एम.एच. एजुकेशन प्रा.लि.नई दिल्ली)

4. सिंह, जे.पी. (2005) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवत्र्तन एवं परिवार का उदविकास'' (पब्लिकेशन्स हाल ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली)

5. अग्रवाल, जी.के. (1981) ''समाजशास्त्र, परिवार तथा नातेदारी'' (एस.बी.पी. डी.पब्लिकेशन्स)

6. गुप्ता, एस.एल.शर्मा, डी.डी. (1999) ''सामाजिक मानवशास्त्र समाजिक संरचना परिवार'' (साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा)

7. भारतीय समाज, परिवार और नातेदारी'' (सामाजिक संस्थाएँ निरंतरता एवं परिवत्र्तन) N.C.E.R.T.

8. दुबें, सत्यमित्र, शर्मा, दिनेश, ''समाजशास्त्र एक परिचय'' (परिवार, विवाह और नातेदारी N.C.E.R.T.) ''भारत में सामाजिक परिवत्र्तन एवं विकास'', (हम संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पथनिरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे) N.C.E.R.T.

9. शुक्ल, सरोज कुमार, वरिष्ठ नागरिक (2011) ''अकेलेपन का सन्नाटा, योजना पत्रिका'' (538 योजना भवन, संसदमार्ग, नई दिलली) November

10. उवेराय पी., सैयढ वी.बी., ''समाज का अध्ययन'' (समूह और संस्थाएँ) परिवार और विवाह (इदिन्रा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, समाजिक विज्ञान विद्यापीठ)

11. कुमार, कपिल ''भारत में समाज विवाह, परिवार और नातेदारी (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ)

Corresponding Author

Mamta Kumari*

Research Scholar, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh